मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 09/09/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण-

--00—

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में **दिनांक 09/09/2025 को दोपहर 01.00 बजे** से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार विषयवार प्रकरणों की समीक्षा की गई :-

(01) <u>ई-अटेण्डेंस की समीक्षा</u> :-

कृषि उपज मण्डियों के अधिकारी/कर्मचारियों की ई-अटेण्डेंस की समीक्षा करने पर पाया गया कि मेहगांव, शिवपुरी एवं अन्य कुछ मण्डियों में कर्मचारियों की उपस्थिति मैन्युअल दर्ज हो रही है, जो उचित नहीं है। इस संबंध में आंचलिक संयुक्त संचालक सबंधित मण्डी सचिवों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रतिवेदन एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक को निर्देशित किया गया कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में बायोमेट्रिक मशीन पर अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है एवं मोबाईल एप पर ई-अटेण्डेंस को अभी ट्रायल पर रखा गया है। आंचलिक कार्यालयों एवं तकनीकी संभागों में ई-अटेण्डेंस एप पर अधिकारी/ कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत अनिवार्य है। आंचलिक संयुक्त संचालक/ उप संचालक एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री इसकी सतत् समीक्षा एवं निगरानी रखते हुए निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

मोबाईल पर ई-अटेण्डेंस लगाने के संबंध में आईफोन में आ रही तकनीकी समस्या का निराकरण करने हेतु डॉ. निरंजन सिंह, आई.टी. कन्सलटेंट को निर्देशित किया गया।

(02) <u>ई-मण्डी योजना की समीक्षा</u> :-

कृषि उपज मण्डियों में किसानों के प्रवेश, नीलामी, तौल, भुगतान एवं निकासी से संबंधित संव्यवहारों की ई-मण्डी एप पर दर्ज करने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश की 112 कृषि उपज मण्डियों में प्रवेश से लेकर निकासी तक के कुल 1004 संव्यवहार एक घण्टे से कम समय में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसके संबंध में सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक से मण्डीवार समीक्षा कर ई-मण्डी की नियमित समीक्षा कर सुधार लाने के निर्देश दिए गए एवं निर्देशित किया गया कि जिन मण्डियों में प्रवेश से लेकर निकासी तक के संव्यवहार में एक घण्टे से कम समय प्रदर्शित हो रहा है, उन मण्डियों के सचिवों से वस्तुस्थिति के कारणों की ठोस जानकारी प्राप्त कर आगामी वीडियो कांफ्रेंसिंग में जानकारी प्रस्तुत की जावे। एम.आई.एस. शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया कि टी.एल. बैठक एवं मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में ई-मण्डी को स्थाई एजेण्डा के रूप में शामिल करें।

(03) <u>ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा</u> :-

आंचलिक कार्यालयों एवं तकनीकी संभागों को ई-ऑफिस से जोड़ने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा में पाया गया कि आंचलिक कार्यालय सागर, इंदौर एवं उज्जैन में ई-ऑफिस प्रणाली क्रियाशील हो चुकी है। अन्य आंचलिक कार्यालयों तथा तकनीकी संभागों को भी ई-ऑफिस प्रणाली से शीघ्र जोड़ने एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु एम.आई.एस. शाखा प्रभारी को निर्देश दिए गए।

कृषि उपज मण्डी समिति इंदौर में आढ़तियों द्वारा नियत दर से अधिक दर पर आढ़त वसूल करने संबंधी शिकायत का जांच प्रतिवेदन ई-ऑफिस के माध्यम से प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड, भोपाल को प्रस्तुत करने के आंचलिक संयुक्त संचालक, इंदौर को निर्देश दिए गए।

(04) <u>फार्मगेट एप की समीक्षा</u>:-

एम.आई.एस. प्रभारी द्वारा बताया गया कि फार्मगेट एप पर वर्ष 2025-26 के लिए किसान पंजीयन का 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 8.50 लाख किसानों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/ उप संचालक को निर्देशित किया गया कि वे फार्मगेट योजना का कृषि उपज मण्डियों में प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में किसानों का पंजीयन करावें। एम.आई.एस. शाखा प्रभारी को किसान पंजीयन का मण्डीवार मासिक लक्ष्य निर्धारित

करने के निर्देश दिए गए तथा आगामी टी.एल. बैठक एवं मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में फार्मगेट एप को स्थाई एजेण्डा में शामिल करने के निर्देश दिए गए।

(05) <u>ई-नाम योजना की समीक्षा</u>:-

प्रदेश की 139 कृषि उपज मण्डियॉं राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी है किन्तु माह-जुलाई, 2025 में आरोन, बड़ामलेहरा, ब्यौहारी, छपारा, हरपालपुर, जबेरा, करैरा, कटंगी, पाटन, मैहर, नरसिंहपुर, पलारी, पन्ना, सैलाना एवं शहडोल मण्डी द्वारा ई-नाम पोर्टल पर कोई ट्रेड (संव्यवहार) नहीं किया गया, जो कि उचित नहीं है। ई-नाम प्लेटफार्म पर नियमित ट्रेड (संव्यवहार) करने, पोर्टल के माध्यम से कृषकों को ई-पेमेंट करने एवं अन्य राज्य की मण्डियों से अन्तर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देकर कृषकों को इसका अधिकाधिक लाभ पहुंचाने हेतु ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। संभागवार समीक्षा कर सभी आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक को निर्देशित किया गया कि उक्त योजना का किसानों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ई-नाम प्रयोगशालाओं को क्रियाशील कर इसका लाभ उपलब्ध कराने हेतु ठोस कार्यवाही की जावे। जिन मण्डियों में जुलाई माह में ट्रेड नहीं हुआ है, उनकी समीक्षा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ज्ञात करें जिसकी विस्तृत समीक्षा आगामी वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में की जावेगी।

(06) <u>ई-अनुज्ञा पोर्टल की समीक्षा</u> :-

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर लेखा-सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन करने, पोर्टल पर व्यापारियों की वार्षिक विवरणी जनरेट करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने और ऑनलाइन लेखा-सत्यापन से संबंधित सुसंगत प्रावधान उपविधि में प्रतिस्थापित करने के लिए संयुक्त संचालक(नियमन) एवं एम.आई.एस. शाखा प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(07) <u>न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा</u> :-

न्यायालयीन प्रकरणों की प्रतिदिन की अपडेट जानकारी **(Causelist)** मण्डी बोर्ड के वाट्सअप ग्रुप में सम्प्रेषित नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि इस संबंध में कर्मचारी की ड्यूटी नियत कर वाट्सअप ग्रुप पर डेली अपडेट भेजी जावे। सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक इस व्यवस्था को डेली प्रेक्टिस में लावें। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिए गए हैं उन्हें विधिक अभिमत के नाम पर लंबित ना रखा जावे वरन् इनकी समीक्षा कर निराकरण की यथासमय कार्यवाही की जावे ताकि अवमानना की स्थिति

निर्मित ना हो। माननीय न्यायालय में समय-सीमा में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने, अंतरिम स्थगन को रिक्त कराने एवं अवमानना प्रकरणों पर विशेष सतर्कता के साथ कार्यवाही करने के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

(08) <u>सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा</u> :-

सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया गया कि मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में एल-1 पर 17, एल-2 पर 10, एल-3 पर 48 एवं एल-4 पर 72 प्रकरण लंबित हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित एल-1(मण्डी स्तर) पर 103, एल-2(नोडल जिला मण्डी स्तर) पर 67, एल-3(आंचलिक कार्यालय स्तर) पर 262 एवं एल-4 (मण्डी बोर्ड, भोपाल स्तर) पर 79 शिकायतें लंबित हैं। कृषकों के भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन भुगतान, पेंशन स्वीकृति, लाईसेंस प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में निराकृत किया जावे। यदि कोई प्रकरण बिना कार्यवाही के समाधान ऑनलाइन में लगता है, तो संबंधित उत्तरदाताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतः सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज कोई भी शिकायत बिना कार्यवाही के आगामी क्रम के अधिकारी को जम्प नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की वित्त, स्थापना, शिकायत एवं नियमन शाखा प्रभारी तथा आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों को प्रकरणवार समीक्षा करके आवेदकों को सुना जाकर निराकरण की अद्यतन स्थिति पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

(09) <u>विधान सभा आश्वासनों की समीक्षा</u> :-

1/ संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, जबलपुर द्वारा जानकारी दी गई कि संभाग में 21 लंबित आश्वासनों में से 02 में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिनके निराकरण का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जा रहा है। कटनी के लेखा-सत्यापन से संबंधित 03 आश्वासनों में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय स्तर से गठित दल द्वारा लेखा-सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा इस माह 500 लेखों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लंबित सभी लेखों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करने में 03 माह का समय लगने की संभावना है, जिसे तत्परता से करने के निर्देश दिए गए।

2/ इंदौर संभाग की बेडिया मण्डी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा की पूर्ति/पालन होने से निराकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।

(10) <u>स्थापना शाखा की समीक्षा</u> :-

1/ कृषि उपज मण्डी समितियों के कर्मचारियों के मध्य पारदर्शी एवं व्यवस्थित कार्य-विभाजन हेतु मण्डी बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांक 21.08.2025 को प्रारूप जारी किया गया है। जबलपुर संभाग की सभी 35 मण्डियों, भोपाल संभाग की 05 मण्डियों, सागर संभाग की 21 मण्डियों, इंदौर संभाग की 15 मण्डियों, ग्वालियर संभाग की 20 मण्डियों, उज्जैन संभाग की 41 मण्डियों एवं रीवा संभाग की 03 मण्डियों द्वारा कार्य-विभाजन आदेश जारी करने की जानकारी दी गई। सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक को निर्देशित किया गया कि शेष मण्डियों से आगामी एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए पालन प्रतिवेदन, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को भेजने के निर्देश दिए गए।

2/ एच.आर.एम.एस. साफ्टवेयर पर कृषि उपज मण्डी समितियों एवं मण्डी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा-अभिलेखों की डॉटा एन्ट्री तथा सेवा-पुस्तिका को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही 15 दिवस की समयावधि में पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सभी आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए गए।

3/ मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में सहायक उप निरीक्षक की सम्बद्धता के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर संयुक्त संचालक, जबलपुर द्वारा बताया गया कि 03 कर्मचारियों को मण्डी बोर्ड, भोपाल द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है तथा शेष कर्मचारियों के बारे में मुख्यालय, भोपाल के स्तर पर ही कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में दिव्यांग कर्मचारियों को छोड़कर अन्य के संबंध में उप संचालक(स्थापना), मण्डी बोर्ड, भोपाल को शीघ्र नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(11) <u>अन्य बिन्दु</u> :-

बिन्दुवार चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

- अपर संचालक(वित्त), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों में एन.पी.एस. योजना लागू है, कोई भी पात्र कर्मचारी इस योजना से वंचित नहीं रहे तथा नियमित रूप से अंशदान जमा हो, इसकी पुष्टि कराई जाकर प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- अपर संचालक(वित्त), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल को शासकीय एजेंसियों के माध्यम से एकाउंटिंग एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर तैयार कराने के निर्देश दिए गए।

- अधीक्षण यंत्री-1, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देशित किया गया कि सभी टेण्डर समयावधि में जारी किए जावे तथा सभी टेण्डर की समय-सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- डबरा मण्डी में आढ़त कटौती की शिकायतों पर संयुक्त संचालक, ग्वालियर को निर्देशित किया गया कि वे डबरा मण्डी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार लावें एवं मण्डी सचिव सख्ती से आढ़त कटौती पर नियंत्रण करें। इसमें लापरवाही परिलक्षित होने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव संयुक्त संचालक, ग्वालियर द्वारा मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए।
- चौरई मण्डी में कृषक भुगतान में व्यतिक्रम से संबंधित प्रकरण में संयुक्त संचालक, जबलपुर सतत् निगरानी रखते हुए जप्तशुदा माल की नीलामी प्रक्रिया शीघ्रता से कराकर कृषकों को भुगतान करावें एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन शीघ्र मुख्यालय को भेजन के निर्देश दिए गए।
- गोपालपुर मण्डी प्रांगण की भूमि पुलिस थाने को आवंटित करने संबंधी आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल को अपील करने संबंधी प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने हेतु आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, भोपाल को निर्देश दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि अपील प्रस्तुत कर दी गई है।
- सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों को ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जियो मैपिंग/टेगिंग एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
- उप संचालक(प्रांगण) भोपाल को निर्देशित किया गया कि मण्डी/उपमण्डी प्रांगण अधिसूचना के कितने प्रस्तावों को फाइनल कर शासन को भेजा गया तथा कितने प्रकरण मण्डी बोर्ड स्तर पर लंबित है तथा कितने प्रकरणों में अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसकी सूची 03 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- संयुक्त संचालक(समन्वय) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देशित किया गया कि मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग का एजेण्डा प्रबंध संचालक से अवश्य अनुमोदित कराएं ताकि समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों को एजेण्डा में जोड़ा जा सके, इसके उपरान्त एजेण्डा के बिन्दुओं पर प्रजेन्टेशन(पी.पी.टी.) तैयार कर बैठक के एक दिन पूर्व प्रस्तुत करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए।
- सहायक संचालक(समन्वय), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देशित किया गया कि सी.एम. मॉनिट के कटनी एवं सिरोंज के ए+ प्रकरणों की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर अपडेट करावें।

- ई-मण्डी पोर्टल पर ई-नाम पोर्टल का सर्वर एक महीने में कितने बार एवं कब-कब डाउन रहा है, इसकी जानकारी एन.आई.सी. से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के एम.आई.एस. प्रभारी को निर्देश दिए गए।
- कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन के श्री अश्विन सिन्हा, सचिव को निर्देशित किया गया कि आंचलिक अधिकारी, मण्डी बोर्ड, उज्जैन की ओर से टी.एल. बैठक एवं मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में प्रस्तुतिकरण करेंगे।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय-सीमा के अंकित पत्रों पर 15 दिवस के भीतर कार्यवाही पूर्ण करें एवं जिन पत्रों में प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालयों अथवा तकनीकी संभागों से प्राप्त किये जाना अपेक्षित हो, उन प्रकरणों में अधिकतम 01 सप्ताह में अनिवार्य रूप से वांछित जानकारी प्राप्त की जावे। यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण विशेष में समयावधि चाही जाना है, तो प्रकरण के स्वरूप का उल्लेख करते हुए समय वृद्धि की मांग की जा सकती है। ध्यान रखें कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता एवं तत्परता से किया गया है, यह स्पष्टता से दिखना भी चाहिए।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/सितम्बर/2025/2266 भापाल, दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-भोपाल संभाग क्र-1/भोपाल संभाग क्रं.-2/ होशंगाबाद (नर्मदापुरम)/इंदौर/खरगौन /उज्जैन/मंदसौर/ग्वालियर/मुरैना(चम्बल)/सागर/ जबलपुर/सिवनी/रीवा।
8. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

उपरोक्तानुसार सभी संबंधित अधिकारीगण टी.एल. बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार समयावधि में वांछित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सहायक संचालक (समन्वय)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल